

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0—52 / 2018
संस्थापन दिनांक—16.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

संतोष पिता मगलिया भील उम्र 27 वर्ष
निवासी— कुन्दामाल तहसील ठीकरी जिला बडवानी
म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //
(आज दिनांक को घोषित)

01— अभियुक्त **संतोष** के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक **08.01.2018** को **17:45** बजे **कुन्दामाल फाटा, कुन्दामाल ठीकरी** आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक प्लास्टिक की सफेद केन में कच्ची शराब करीबन 10 लीटर रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.01.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की संतोष पिता मगलिया अवैध रूप से एक प्लास्टिक की केन में कच्ची हाथ भट्टी की शराब लेकर कुन्दामाल फाटे की ओर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर पंचान को सूचना से अवगत कराकर फोर्स व पंचान के साथ कुन्दामाल फाटे पर पहुँचे तो थोड़ी देर बाद कुन्दामाल तरफ से एक व्यक्ति सफेद रंग की प्लास्टिक की केन हाथ में लेकर आते दिखा, जिसे घेराबंदी कर नाम पता पूछने पर संतोष पिता मगलिया भील होना बताया, उसके कब्जे में रखी प्लास्टिक की केन को

निरंतर.....

चेक करने पर उसके अंदर महुँए की हाथ भट्टी बनी कच्ची शराब 10 लीटर मिली। आरोपी संतोष भील से शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर उसने नहीं होना बताया। आरोपी के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब जप्त की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क्र0 17/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी सुभाष पिता जगदीश के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी संतोष पिता मगलिया भील ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति 10 लीटर कच्ची शराब रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 500/— रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

